न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 176–दो/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–1–2003 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज जिला रायसेन प्रकरण कमांक 4/पुनर्विलोकन/2002–03

देवेन्द्र कुमार पुत्र देवीसिंह लोधी अव्यस्क
निवासी चांदोनी गढी
द्वारा संरक्षक पिता देवी सिंह पुत्र सुन्दरलाल
निवासी चांदोनी गढी
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन .....आवेदक

विरूद्ध

1– रामचरण पुत्र मोतीलाल लोधी
2– इमरत सिंह पुत्र मोतीलाल लोधी
3– सुन्दरलाल पुत्र मोतीलाल लोधी
निवासीगण चांदोनी गढी
तहसील गैरतगंज जिला रायसेन .....अनावेदकगण

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 21/11/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, गैरतगंज द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 9 में पारित आदेश दिनांक 10–1–2002 के पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज जिला रायसेन से चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16–1–2003 को आदेश पारित कर तहसीलदार को पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान

की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामांतरण पंजी कमांक 9 पर पारित आदेश दिनांक 10–1–2002 अपीलीय आदेश है, जिसके विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालयों में अपील प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण वह अंतिम हो गया है, और ऐसे आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा जिस प्रकरण के पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई है, उसके पुनर्विलोकन का आधार आदेश में नहीं है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसानों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । इस प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित किया जाना है जहॉ आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश विधिसंगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, गैरतगंज जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–1–2003 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर